विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0–588 / xii(1)/15-86(19)/2015 दिनांक 25 अप्रैल 2015 के क्रम में ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों का अनन्तिम प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या–177 / पं0–7 / ग्रा0पं0 / परिसीमन / 2015–16 दिनांक 19 मई 2015 को किया गया। अनन्तिम प्रकाशन पर हितबद्व व्यक्तियों के द्वारा आपत्तियां दिनाकं 20 / 05 / 2015 से दिनांक 22 / 05 / 2015 दी गई। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 23 / 05 / 2015 को विकास भवन रोशनाबाद में की गई। आपत्तियों का निस्तारण शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा विकास खण्ड़ों से प्राप्त आख्या के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त किया गया।

अतः मैं रंजना, जिलाधिकारी, हरिद्वार पुनर्गठित ग्राम पंचायतो की अन्तिम सूची प्रारूप–1–क पर प्रकाशित करती हूँ।

संलग्न प्रारूप–1–क

(रंजना)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

पत्रांक / 195 / पं0–7 / ग्रा0स0–परिसीमन / 2015–16 दिनांक 26 मई 2015
2015

प्रतिलिपि–

1– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ पुनर्गठित ग्राम पंचायतो का अन्तिम प्रकाशन विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड तथा सम्बन्धित क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराते हुए सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर ले कि विज्ञप्ति का प्रकाशन संलग्न प्रारूप–1–क के अनुसार कर दिया गया है।

2– समस्त तहसीलदार / उप जिलाधिकारी, हरिद्वार को उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने स्तर से नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करायें।

3– जिला पंचायत राज अधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी हरिद्वार को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– जिला सूचना अधिकारी,जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ की इस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में जनसाधारण के सूचनार्थ निःशुल्क जनहित में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करे।

5– प्रभारी अधिकारी, कलक्ट्रेट हरिद्वार।

6– ✓ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि जनपद की बेबसाईट www.haridwar.gov.in पर उक्त विज्ञप्ति को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

7– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।

8– कार्यालय प्रति।

26/08/18

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

ADIO/EDM.
FNA Pl.